स्पीड पोस्ट

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110011 (भारत)
NEW DELHI – 110011 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/74/2022-2023 **28 नवम्बर, 2022**

सेवा में,

श्री दीपनारायण गुप्ता
भवन संख्या ए 13/24
घसियारीटोला, थाना- आदमपुर
काशी स्टेशन रोड, राजघाट,
वाराणसी-221001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 20.11.2022 का पत्र जो इस सचिवालय में 23.11.2022 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 57एफ 299942 संलग्न कर अपने झूठा मुकदमा तथा रिश्वत लेने संबंधी जानकारी चाही है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rajeshk.s@sansand.nic.in

रजिस्ट्री द्वारा पत्र प्रेषित

RTI no. 74

ई-मेल के द्वारा पूरे भारत में प्रसारित एवं पब्लिक की जानकारी के लिये पोस्टर के माध्यम से गली चौराहे पर चिपकाये जायेंगे?

सम्पूर्ण भारत में रहने वाले आम जन को अवगत कराये जा रहे हैं? कि पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर गैर कानूनी ढंग से झूठी मनगढ़ंत अति संगीन धाराओं के तहत केस बनाकर बेगुनाहों पर मुकदमा चलाये जाने का आतंकी राज कायम कर रखे हैं? एवं आदरणीय न्यायाधीश महोदय जी को रिश्वत खोर पुलिस की मनगढ़ंत रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिये समय नहीं है? या यूं कहा जाये कि आदरणीय न्यायाधीश महोदयगण न्यायालय में झूठी मुकदमा चलाने का ढर्रा बना रखा है? जिससे बेगुनाहों पर कई वर्षो तक मुकदमा चलाये जाते हैं? जिससे बेगुनाह के सम्पूर्ण परिवार तथा रिश्तेदारों को भी बर्बाद किये जाते हैं और न्यायालय में अधिकांश न्यायाधीश महोदय जनता की फरियाद सुनने के लिये नहीं बैठे हैं, केवल अपनी मंथली पगार लेने के लिये घृणित मानसिकता के तहत न्यायाधीश महोदय न्याय का बहाना बना रखा है। इसी बहाने वेतन मिलता रहे तथा अच्छी खासी आराम की जिंदगी व्यतीत करने के लिये बैठे हैं?

Vice President's Secretariat, New Delhi, Dy. No. 243, Date 23/11/22

दिनांक 20-11-2022.....

प्रेषक-
दीपनारायण गुप्ता
भवन संख्या ए.13/24,
घसियारीटोला, थाना-आदमपुर,
काशी स्टेशन रोड, राजघाट, वाराणसी
पिन-कोड-221001 (उ0प्र0)
मोबाइल- 8303727846
ई-मेल-shitalprasadsinghvns@gmail.com

आख्या शुल्क के रूप में पोस्टल 10/- रूपये का आर्डर संलग्न नं0 57एफ 299942

प्रार्थी गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली द्वारा थाना आदमपुर जिला वाराणसी के थानाध्यक्ष महोदय को रिश्वत के भारी रकम की अदायगी से गैर कानूनी ढंग से झूठी षड़यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया? 258/2018 दिनांक 11.11.2018 को थानाध्यक्ष जनपद वाराणसी द्वारा गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता जिला चंदौली से दसो लाख रूपये का रिश्वत लेने के कारण एफ0आई0आर0 दर्ज होने से पहले बेगुनाह नाथ नारायण गुप्ता को लाकप में तीन दिन रखा गया था?

आदरणीय न्यायाधीश महोदयगण अधिकांश विवेकहीन एवं कर्महीन होने के कारण बेगुनाहों पर लगाये गये झूठी मुकदमों का भली भांति अवलोकन करने में असमर्थ होने से अधिकांश अधिवक्तागण गुनाहगार से अच्छी खासी ब्लैक मनी लेकर झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर आदरणीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष न्यायालय में अपनी दलील देकर गुनाहगार को बरी कराते हैं। यह आदरणीय न्यायधीश महोदय की संस्कार की कमी समझा जाये या यूं कहा जाये कि योग्यताहीन का परिचय समझा जाये? दीपनारायण गुप्ता/

24/11/22

VSC(PS) 24/11/22
Sh. Sandeep Pal.

सेवा में,

श्री जनसूचना अधिकारी
महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय (सचिवालय)
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना अतिशीघ्र स्पष्ट कराते हुए उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. उपरोक्त आदरणीय महोदयगण आपको मालूम हो कि प्रार्थी गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता ग्राम दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली का रहने वाले के द्वारा अपनी बहन रेखा गुप्ता पति नाथ नारायण गुप्ता के सम्बन्ध में थाना आदमपुर जनपद वाराणसी में गैर कानूनी ढंग से रिश्वत खोर पुलिस द्वारा रिश्वत के बलपर संगीन केस बनवाया गया था?
2. उपरोक्त आदरणीय महोदयगण आपको मालूम हो कि एक ही निर्धारित समय पर एक ही व्यक्ति द्वारा कितने क्राइम होंगे?
3. उपरोक्त आदरणीय महोदय गण आपको मालूम हो कि दिनांक 11.11.2018 को गोविन्द गुप्ता द्वारा थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया गया है? जिसमें यह दर्शाया गया है कि दिनांक 10.11.2018 को रात 10.30 बजे उसका पति नाथ नारायण गुप्ता शराब पीकर आया बिना कोई कारंण के मारने पीटने लगा, मां बहन की गालियां देने लगा, जब वहां से भागने की कोशिश की तो दाहीना हाथ पकड़कर ऐंठकर जमीन पर पटक दिया, सीने पर चढ़कर दोनों हाथ से मेरी बहन का गला दबाने से मुर्छित होकर बेहोश हो गयी, पड़ोस वाले मुझे मेरी बहन को मारने पीटने की घटना की सूचना मिली, तुरंत हम प्रार्थी और मेरी मां मुन्नी देवी और मेरी पड़ोस की दीदी राजकुमारी गुप्ता साथ में लेकर घसियारी टोला पहुंचे तो देखा मेरी बहन रेखा गुप्ता मुर्छित (बेहोश) अवस्था में दरवाजे के बाहर पड़ी हुयी है? हम लोग बहुत देर तक पानी आदि छींटा मुंह पर डाला गया तो काफी देर के बाद होश में आने पर जो उसके साथ हुआ बतायी, मेरी बहन को गर्दन पीठ और पूरे शरीर में अन्दरूनी व गहरा चोट आयी है। 100 नम्बर डायल करके सूचना दिये कहे कुछ देर बाद पुलिस आई, मुकदमा लिखाने के लिये थाने पर भेजे, ज्यादा रात होने के कारण नहीं आ पाये, घर पर ले जाकर दवा इलाज किया? प्रार्थी गोविन्द गुप्ता उम्र 27 साल मो0 नम्बर 9795371663 दिनांक 11.11.2018
4. उपरोक्त आदरणीय महोदयगण जी आपको मालूम हो कि एफ0आई0आर0 में दर्शाये गये शब्दों का अवलोकन किया जाये, उपरोक्त माननीय जन महोदय एक ही निर्धारित समय पर इतना ज्यादा विभिन्न वारदात कैसे होगा, पुलिस द्वारा स्पष्ट कराया जाये या प्रार्थी गोविन्द गुप्ता द्वारा जैसे **प्वाइंट नम्बर एक** शराब पीकर आया वह अपने मकान में दूसरी मंजिल पर कैसे गया, उड़कर या सीढ़ी द्वारा। उस वक्त दिनांक 10.11.2018

दीपनारायण गुप्ता/

समय रात 22/30 का ही था, **प्वाइंट नं0 दो**, बिना कारण मारने पीटने लगा उस वक्त उपरोक्त दिनांक तथा समय वही था? **प्वाइंट नम्बर तीन-** मां बहन गारिया देने लगा, उस वक्त उपरोक्त दिनांक तथा समय वहीं था? **प्वाइंट नम्बर 4-** जब वहां से भागने की कोशिश की तो दाहिना हाथ पकड़कर ऐंठकर जमीन पर पटक दिया, उस वक्त उपरोक्त दिनांक तथा समय वही रहा? **प्वाइंट नम्बर पांच-** सीने पर चढ़कर दोनों हाथ से मेरी बहन का गला दबाने से मुर्छित होकर बेहोश हो गयी, उस वक्त भी समय एवं दिनांक उपरोक्त ही था। **प्वाइंट नं0 6-** पड़ोस वाले मुझे मेरी बहन को मारने पीटने की घटना सूचना मिली उस वक्त उपरोक्त दिनांक एवं समय वही था?

5. उपरोक्त आदरणीय एवं माननीय महोदयगण जी वह आंखों देखी साक्ष्य जैसे एफ0आई0आर0 में दर्शाया गया है कि पड़ोस वाले मुझे मेरी बहन को मारने पीटने की घटना सूचना मिली ऐसा वर्ड दर्शाया गया है? उपरोक्त आदरणीय महोदय कृपया न्यायालय में घटना की आखों देखी साक्ष्य वाले व्यक्ति को पेश कराया जाये जिससे गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता ग्राम दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जिला-चंदौली को रेखा गुप्ता पति नाथ नारायण गुप्ता के संग मारपीट होने की घटना का सूचना दिया था। उस व्यक्ति जो आंखों देखी साक्ष्य है? उस व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली से पुलिस की हिरासत में लेकर घसियारी टोला, राजघाट वाराणसी में रहने वाले मारपीट की घटना को आंखों देखी साक्ष्य वाले व्यक्ति का पहचान कराकर गिरफ्तार कराने के लिये गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता को साथ में लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लेकर न्यायालय वाराणसी में पेश किया जाये, अगर उपरोक्त पुलिस अधिकारीगण द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में झूठी मनगढ़ंत रिश्वत लेकर मुकदमा बनाने वाले थाना प्रभारी आदमपुर, वाराणसी को तत्काल बर्खास्त किया जाये?

6. उपरोक्त आदरणीय महोदय कृपया शब्दों पर विशेष अवलोकन करने का कष्ट करें कि थाना आदमपुर, वाराणसी की पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज में गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैयालाल गुप्ता ग्राम दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली द्वारा घसियारी टोला थाना आदमपुर राजघाट से 100 नम्बर डायल करके सूचना दिया, मो0नं0 9795371663 से सूचना दिया कहे कि कुछ देर बाद पुलिस आई यह बात सरासर गलत है, और 100 नम्बर पुलिस से गोविन्द गुप्ता की कोई वार्ता नहीं हुयी है। इससे स्पष्ट होता है कि घटना कोई नहीं घटा केवल रिश्वत के बल पर पुलिस षड़यंत्र के द्वारा मनगढ़ंत कपोल कल्पित कहानी की तौर पर फर्जी ढंग से मुकदमा बनायी गयी है?

7. उपरोक्त माननीय एवं आदरणीय महोदयगण आपको मालूम हो कि 100 नम्बर डायल कन्हैया लाल गुप्ता दुलहीपुर थाना मुगलसराय, जिला चंदौली से दिनांक 10.11.2018 को समय 22.57.29 पर सूचना मो0नं0 इस प्रकार है? 7985901324 रिपोर्ट कार्यालय यू0पी0 100 जनपद वाराणसी में दर्ज है।

8. उपरोक्त आदरणीय एवं माननीय महोदय जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इवेन्ट नं0 पी 1011814014 पर कालर श्री कन्हैयालाल के मोबाइल नं0 7985901324

दीपनारायण गुप्ता/

निवासी दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जिला चंदौली द्वारा उसकी पुत्री रेखा गुप्ता के साथ मारपीटकर उसे घर से निकाल दिया गया है कि सूचना यू0पी0 100 डायल पर प्राप्त हुयी जिस पर पी0आर0वी0 600 मौके पर गयी थी। घटना की सूचना पर मौके पर गयी पी0आ0वी0 0600 मे हेड का0 पुरूषोत्तम पाण्डेय का0 राजेश राम होमगार्ड चालक शुधांशु मिश्रा मौके पर गये थे, 100 नम्बर पुलिस द्वारा विपक्षी नाथ नारायण गुप्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने ले जाकर सुपुर्द किया गया था, इसका साक्ष्य 100 डायल पुलिस है।

9. उपरोक्त आदरणीय एवं माननीय महोदय जी आप समेत पूरे भारत के सभी सरकारी अधिकारी एवं भारत देश के सभी प्रदेशो के मंत्रीगण एवं सभी प्रदेशों के राज्यपाल महोदय एवं समस्त भारत देश के मुख्य न्यायाधीश महोदय तथा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली समेत समस्त भारत सरकार के सचिवालय समेत आम पब्लिक को अवगत कराया जा रहा है कि पुलिस रिश्वत के लिये कार्य करती है? जैसे दिनांक 10.11.2018 को थानाध्यक्ष महोदय आदमपुर, जनपद वाराणसी (उ0प्र0) द्वारा दसों लाख रूपये का रिश्वत लेकर एफ0आई0आर0 दर्ज होने से पहले लाकप में तीन दिन रखा था, नाथ नारायण गुप्ता को? और तीसरे दिन कहीं और से गिरफ्तारी दिखायी जाती है और यह कार्य उ0प्र0 के अन्तर्गत थाना प्रभारी आदमपुर जनपद वाराणसी द्वारा थाना आदमपुर से सम्बन्धित अधिकारीगण एवं पुलिसगण द्वारा रिश्वत लेने का रिश्वत देने वाले गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैया लाल गुप्ता थाना मुगलसराय, जिला-चंदौली को करिश्मा दिखाती है? मुकदमा दर्ज करने के सम्बन्ध में।

10. उपरोक्त महोदय एवं आदरणीय माननीय जी आपको मालूम हो कि गोविन्द गुप्ता पुत्र कन्हैया लाल गुप्ता ग्राम दुलहीपुर, थाना मुगलसराय, जिला-चंदौली द्वारा थाना आदमपुर, जनपद वाराणसी में दर्ज कराये गये मुकदमा में अवगत कराया गया है कि मेरी बहन को गर्दन पीठ और पूरे शरीर में अन्दुरूनी वह गहरा चोट आयी है? एवं ज्यादा रात होने के कारण घर पर ले जाकर दवा इलाज किया। उपरोक्त आदरणीयगण जिस व्यक्ति को उपरोक्त चोट जैसे आई हो, उसे शीघ्र हास्पिटल ले जाकर इलाज कराया जायेगा, या घर पर ले जाकर इलाज किया जायेगा तथा अर्ध रात्रि के समय घर पर कौन से इलाज किया या यूं कहा जाये कि फर्जी मुकदमा कायम करने के लिये अर्धरात्रि को ग्रामीण वाले मकान में ले जाकर चोट के निशान बनाने के लिये ले गये ताकि मेडिकल आसानी से बनवाया जा सके। इन्हीं कारण से दिनांक 10.11.2018 की रात्रि में घटना स्थल से दो किलो मीटर की दूरी पर आपात काल जैसे सरकारी हास्पिटल कबीरचौरा में तत्काल मेडिकल पुलिस द्वारा न कराते हुए दूसरे दिन मेडिकल लगभग दस किलो मीटर की दूरी से लाकर कराया गया, चूंकि पुलिस दसो लाख रूपये के लगभग रिश्वत लेने के कारण पुलिस द्वारा ऐसा किया गया?

अतः आदरणीय एवं माननीय महोदय गण से निवेदन है कि इन पत्रों की भली भांति अवलोकन करते हुए उपरोक्त मामले का संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र विशेष कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए सी0बी0आई0 जांच के साथ-साथ न्यायिक जांच कराया जाये तथा कार्यवाही कि प्रतिक्रिया से मुझ आवेदक को भी अवगत कराया जाये? ताकि आगे की प्रक्रिया सम्पन्न हो।

भवदीय

दीपनारायण गुप्ता